सं. 57/01/2025-पी&पीडब्ल्यू(बी)/यूपीएस/10498

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितहितलाभ प्राप्त करने के विकल्प-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो 01.04.2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने के संबंध में है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया गया है।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों के नियम 10 में, एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी के लिए, सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रावधान है।

3. एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया गया है। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी भी, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, यूपीएस या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीएसएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन करने के लिए पात्र होंगे।

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के प्रत्येक नए कर्मचारी को सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के समय, मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण कार्यमुक्त किए जाने पर, यूपीएस या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वर्तमान सरकारी कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना

के विकल्प का चयन किया है, वे भी इन स्पष्टीकरणों की अधिसूचना के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का चयन करें।

5. इस विकल्प को कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों की पुष्टि करने के बाद इसे संस्वीकृत करेगा और इसे सेवा पुस्तिका में दर्ज करवाएगा। विकल्प की एक प्रति कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अधिकरण को उनके रिकॉर्ड के लिए प्रेषित की जाएगी। वेतन एवं लेखा अधिकारी, सरकारी कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प संबंधी ब्यौरे दर्शाते हुए, ऑनलाइन सिस्टम में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा।

6. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को फॉर्म 1 में अपना विकल्प प्रस्तुत करते समय, फॉर्म 2 में अपने परिवार के ब्यौरे भी कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करने होंगे। कार्यालय प्रमुख फॉर्म 2 की अभिप्राप्ति पर, फॉर्म 2 और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी संसूचनाओं की पावति की तारीख इंगित करते हुए उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाए जाने के निदेश देगा। परिवार के आकार में किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से संसूचना प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख को ऐसे परिवर्तन को भी फॉर्म 2 में शामिल करना होगा।

7. सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प को उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व असंख्य बार संशोधित किया जा सकता है, इसके लिए उसे कार्यालय प्रमुख को संशोधित विकल्प संसूचित करते हुए नया विकल्प प्रस्तुत करना होगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति होने पर कार्यालय प्रमुख और वेतन एवं लेखा अधिकारी उपरोक्तानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

8. ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे अशक्तता या निशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, उसे ऐसी कार्यमुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। जहां ऐसा सरकारी कर्मचारी कार्यमुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है या नया विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से ही चयनित विकल्प प्रभावी हो जाएगा। जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत किया गया है और कार्यमुक्ति के समय सरकारी कर्मचारी विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, वहां उसके मामले को नीचे दिए गए पैरा 11 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

9. सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु से पहले प्रस्तुत किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक विकल्प माना जाएगा तथा परिवार को उस विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है और पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में, यथास्थिति, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

11. जहां किसी सरकारी कर्मचारी को विकल्प प्रस्तुत किए बिना, पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले ही अशक्तता या निशक्तता के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है और वह कार्यमुक्ति के समय विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में भी नहीं होता है, तो उसे डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, अशक्तता पेंशन या निशक्तता पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

12. अन्य सभी मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था, सेवा से कार्यमुक्त होने पर सरकारी कर्मचारी के दावे और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के दावे को, इस संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

13. ऐसे मामलों में जहां मृतक अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प या सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों के अधीन हितलाभ के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति के लिए परिवार के पात्र सदस्य के न होने के कारण निष्फल हो जाता है, वहां ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और एकीकृत पेंशन योजना के अधीन स्वीकार्य हितलाभ, इस संबंध में बनाए किए जाने वाले विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

14. ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने विकल्प प्रस्तुत किया था या जिसके मामले में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प है, यथास्थिति सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण कार्यमुक्त किए जाने पर, कार्यालय प्रमुख द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या निशक्तता सरकारी सेवा के कारण होती है, हितलाभों के संवितरण के लिए, कार्यालय प्रमुख द्वारा आगे की कार्रवाई, सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अनुसार उन नियमों के अधीन सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन की जाएगी।

15. यदि सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर या अशक्तता या निशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्ति होने पर, सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत हितलाभ देय हैं, तो सरकारी कर्मचारी के संचित पेंशन कोष में सरकारी अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन कोष का भुगतान इस संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार एकमुश्त किया जाएगा।

16 सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता या निशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्ति होने की स्थिति में, जिसने यूपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रस्तुत किया था या जिसके मामले में डिफ़ॉल्ट विकल्प यूपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना है, ऐसे हितलाभ इस संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

17. फॉर्म 1 और फॉर्म 2 की प्रतियां भी संलग्न हैं।

18. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 16.06.2025 आईडी नोट संख्या 1(18)/ईवी/2024 (भाग 2) के परामर्श से जारी किया जाता है।

19. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, सूचनार्थ, नई दिल्ली।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, नई दिल्ली।
8. विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी।